# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 32 / 2023

उनवान

1. शिवजीराम पुत्र श्रवण
2. प्रधान पुत्र रामदेव समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. घीसा पुत्र चतरा
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र काना
3. सांवरलाल पुत्र रंगलाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
4. सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
3 व 4 अनुपस्थित, 5 जरियें राज. पैरोकार

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

—: आदेश :— दिनांक :— 25.9.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के खसरा नम्बर 6194 रकबा 0.07 गै.मु. चाह, 6186 रकबा 0.10 गै.मु. चाह व 6221 रकबा 0.01 गै.मु. चाह राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त चाह से अपनी खातेदारी आराजी की सिंचाई करते आ रहे है। चाह पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने बिजली कनेक्शन के लिये आवेदन किया तथा डिमांड राशि सभी की संयुक्त रूप से जमा करायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की नियत खराब होने के कारण व चाह का कनेक्शन स्वयं के नाम होने के कारण चाह से पिलाई व सिंचाई हेतु मना कर दिया। अप्रार्थीगण उक्त चाह के उपयोग—उपभोग से प्रार्थीगण को वंचित रखने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त चाह शामलाती है। अप्रार्थी ने अपने खर्चे से मोटर बिजली कनेक्शन लिया है। अतः आवेदन पत्र खारिज किया जावे।
राज. पैरोकार ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है।

**प्रथम दृष्टया मामला :—**

ग्राम तिहारी के खसरा नम्बर 6194 रकबा 0.07 गै.मु. चाह, 6186 रकबा 0.10 गै.मु. चाह व 6221 रकबा 0.01 गै.मु. चाह राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में है। प्रार्थीगण द्वारा अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:46:33 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

व्यक्तियों के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है अतः उन्हे प्रकरण में पक्षकार पृतिव नही किया गया है। विवादित चाह संयुक्त खातेदारी में है जिसका विभाजन नही हो सकता हैं। प्रार्थीगण का भी उक्त चाह में हक व अधिकार निहित होने के कारण उन्हे चाह के उपयोग–उपभोग से वंचित नही किया जा सकता है। चाह में से अपनी खातेदारी आराजी पर सिंचाई कने का विधिक अधिकार अप्रार्थीगण के साथ प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदार को है। विधुत कनेक्शन किस के द्वारा लगाया गया तथा कनेक्शन के तथ्यों बारे में मूल वाद से साक्ष्य आदि से ही तय किया जायेगा। मूल वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण को चाह के उपयोग–उपभोग व सिचांई कार्य के लिये संरक्षण दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों को कोई खण्डन पत्रावली पर नही है। अअतः प्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण को चाह के उपयोग–उपभोग व सिचांई कार्य के लिये संरक्षण दिया जाना न्यायोचित है अन्यथा मौके पर वाद बहुलता ही होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

**आदेश** :– अतः ग्राम तिहारी के खसरा नम्बर 6194 रकबा 0.07 गै.मु. चाह, 6186 रकबा 0.10 गै.मु. चाह व 6221 रकबा 0.01 गै.मु. चाह पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित चाह के मौके की यथास्थिति बनाये रखे, प्रार्थीगण को सिचांई कार्य करने से नही रोके। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:46:33 IST
Reason: SelfAttested